प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः- जनपद अमेठी में नवीन जिला कारागार निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु तृतीय किश्त तक की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18317/नम-3/280/अमेठी(भाग-2)/2023, दिनांक- 24-06-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद अमेठी में जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रायोजना लागत की धनराशि रू0 17612.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित धनराशि रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-01/2023/1609/001-22-4-2022-48-65-2011, दिनांक 04.01.2023 द्वारा प्रदान की गयी।

शासनादेश संख्या-4/2024/001-19-22-4-2024-1369572, दिनांक-17.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में 4000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार प्रायोजना की लागत धनराशि रू० 17612.42 लाख के सापेक्ष रू0 6500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद अमेठी में निर्माणाधीन जिला कारागार अमेठी के निर्माण कराये जाने हेतु तृतीय किश्त तक की धनराशि **रू0 10200.00 लाख (रूपया एक अरब दो करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-01/2023/1609/001-22-4-2022-48-65-2011, दिनांक 04.01.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) कार्य करने की निर्धारित तिथि 31-10-2024 के भीतर स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(6) परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कमियों के निराकरण एवं कार्य की गुणवत्ता हेतु महानिरीक्षक कारागार एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,02,00,00,000 ( रुपये एक अरब दो करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2024/001-608-22-4-2024-1369572, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, अमेठी।
(5) कोषाधिकारी, कलक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार अमेठी।
(8)निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यायक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।